



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072022-237306
CG-DL-E-15072022-237306

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3042]
No. 3042]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2022/आषाढ़ 24, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2022/ASHADHA 24, 1944

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

का.आ. 3200(अ).—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री राहुल सिंह (आईएस 1996), संयुक्त सचिव (एस एंड वी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को तत्काल प्रभाव से, उनकी मौजूदा नियुक्ति के कार्यकाल की अवधि तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 2/1/2014-पीआर]

सुषमा किन्डो, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2022

S.O. 3200(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) Act, 2013, the Central Government hereby appoints Shri Rahul Singh (IAS 1996), Joint Secretary (S&V), Department of Personnel and Training, as Part-time Member, Pension Fund Regulatory and Development Authority with immediate effect, for the duration of his tenure in his present appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 2/1/2014-PR]

SUSHMA KINDO, Jt. Director